



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2021/ 1319
प्रति,

दिनांक :- 29/11/2021

प्राचार्य,
शासकीय विधि महाविद्यालय,
देवास रोड़, उज्जैन।

विषय :- सत्र 2021-22 में एल.एल.बी.एवं एल.एल.एम. पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।


संदर्भ :- महाविद्यालय का पत्र क्रमांक/135/2021, दिनांक 11.08.2021

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत आपके महाविद्यालय द्वारा सत्र 2021-22 में एल.एल.बी. एवं एल.एल.एम. पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता-निरंतरता हेतु आवेदन किया गया था, उपरोक्त के संबंध में लेख है कि, महाविद्यालय को पूर्व सत्र 2020-21 में विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता-निरंतरता पत्र में बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया(बी.सी.आई.)से अनुमति प्राप्त कर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया था। परन्तु महाविद्यालय द्वारा आज दिनांक तक बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया(बी.सी.आई.)से अनुमति पत्र प्राप्त कर विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं किया है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि, बार.काउन्सिल ऑफ इण्डिया(बी.सी.आई.) से अनुमति पत्र प्राप्त कर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें ताकि आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-22 में एल.एल.बी. एवं एल.एल.एम. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने संबंधी कार्यवाही की जा सके।

आदेशानुसार


उपकुलसचिव(अकादमिक)

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2021/ 1320
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 29/11/2021

01. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू, इन्स्टीट्यूशनल ऐरिया, बाल भवन के पास, नई दिल्ली।
02. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
03. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, शा. माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन।
04. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
05. प्राचार्य, शासकीय कालीदास कन्या(अग्रणी) महाविद्यालय, उज्जैन।
06. प्रभारी ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
07. माननीय कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निज सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)